II British Monarchy

Britain में सीमित राजतंत्र है। राजा या रानी को संवैधानिक प्रधान बनाया गया है। किसी भी राजा की मृत्यु के बाद उसका सबसे ज्येष्ठ पुत्र गद्दी का अधिकारी होता है। यदि राजा को पुत्र न हो तो उसकी बड़ी पुत्री रानी होती है। यथा जॉर्ज छठे को कोई पुत्र नहीं था इसीलिए उनकी पुत्री एलीजाबेथ Britain की रानी बनी। राजा या रानी के लिये यह आवश्यक है कि वह ब्रिटिश चर्च का सदस्य हो। रोमन कैथोलिक या जिसने रोमन कैथोलिक से शादी कर लिया हो, राजगद्दी का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। 1910 ई० तक सिंहासनारूढ़ होने पर सम्राट को कैथोलिक मत के परित्याग की शपथ लेनी पड़ती थी, परन्तु अब यह प्रथा उठ गयी है। संसद को उत्तराधिकार के नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार है। 1936 में इस कानून में संशोधन कर ही एडवर्ड अष्टम को पदच्युत कर उसके छोटे भाई जर्ज को ब्रिटेन का राजा बनाया गया।

Britain में राजतंत्र ने संस्था का रूप ले लिया। राजतंत्र के संस्थागत रूप को Crown कहा जाता है। King तथा Crown में विभेद British शासन व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। एक समय था जबकि Britain का राजा वास्तविक शासक होता था। नीतियों का निर्माण वह स्वयं करता था। परन्तु ज्यों ज्यों संसदीय लोकतंत्र का विकास होता गया राजा या रानी के अधिकार सीमित होते गये। लेकिन यह परिवर्तन संविधान को संशोधित कर नहीं किया गया। अभिसमयों के द्वारा ही राजा की स्थिति में परिवर्तन हुआ। इसीलिए कार्यपालिका सम्बन्धी सभी अधिकार अभी भी राजा या रानी में ही निहित है। लेकिन उसका प्रयोग संसद और मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। "The king reigns, but does not govern" तथा राजा या रानी के नाम पर शासन होता है, परन्तु राजा स्वयं शासन नहीं करता है। वहाँ यह भी कहा जाता है कि "The king is dead, long live the king." इस प्रकार वहाँ का राजतंत्र अमर है, क्योंकि उसने संस्थागत रूप ले लिया है। अर्थात राजा के कार्यों का संस्थाकरण (Institutionalisation) हो गया है। फलतः व्यक्ति के रूप में राजा की शक्तियाँ प्रायः समाप्त हो गयी। लेकिन संस्था के रूप में Crown की शक्तियाँ निरंतर बढ़ती गयी है, परन्तु वास्तव में राजा या रानी

को Crown में निहीत अधिकारों को मंत्रीमंडल के परामर्श के अनुसार ही व्यवहार में आने का अधिकार है। मंत्रीमंडल के निर्णय के अनुसार ही सरकार की नितियाँ निर्धारित की जाती है और Crown की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। राजा केवल हस्ताक्षर ही करता है। Britain में यह भी कहा जाता है कि "Henry Edward George may die but the king survies them all."

इस प्रकार राजतंत्र ने Britain में संस्था का रूप ले लिया है और राजा या रानी केवल नाम मात्र का प्रधान है। उनके नाम पर शासन होता है, परन्तु वे स्वयं शासन नहीं करते। मुनरो के शब्दों में "The crown is an institution that governs the united kingdom with the approval of the House of commons." सम्राट प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रीयों को नियुक्त करता है परन्तु राजनीतिक वास्तविकता यह है कि Common सभा में जिस दल का ~~महत्व होता है~~ बहुमत होता है ... और वही दल प्रधानमंत्री का निर्माण करता है। राजा या रानी को इस सम्बन्ध में निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। सम्राट को उच्च अधिकारियों तथा न्यायधीशों, राजदूतों आदि को नीयुक्त करने का अधिकार है, परन्तु इस अधीकार का प्रयोग भी मंत्रीमंडल के द्वारा किया जाता है। सम्राट दुसरे देशों के साथ वैदेशिक नीति निर्धारित करता है। किसी देश के साथ संधि या समझौता सम्राट करता है। संधि के लिये संसदीय की औपचारिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। परन्तु ये सभी अधिकार मंत्रीमंडल के द्वारा व्यवहार में लाये जाते है। सम्राट को युद्ध की घोषणा करने का अधिकार है। वह सेना का सर्वोच्च पदाधीकारी है, परन्तु वस्तुतः इस अधिकार का प्रयोग भी मंत्रीमंडल करता है। मुनरो के शब्दों में "The ministers and not the king, are the custodians of the powers of the crown."

सम्राट को संसद का सत्र बुलाने, सत्रा-

वसान करने और Common सभा को भंग करने का अधिकार है। वह संसद के ~~वास्तविक~~ सत्र को सम्बोधित करता है। संसद के सत्र में न रहने पर अध्यादेश जारी करता है। लॉर्ड सभा के सदस्यों को मनोनित करता है, लेकिन इन सभी अधिकारों का प्रयोग मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार ही कीया जाता है। सम्राट को अपराधीयों को क्षमादान देने का अधिकार है। वह ब्रिटिश चर्च का प्रधान है और चर्च के अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार उसमें है।

उपर्युक्त सभी अधिकार मंत्रिमंडल के परामर्श से ही राजा या रानी के द्वारा व्यहवार में लाये जाते। 1760 ई० से संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को राजा या रानी ने अस्वीकृति नहीं किया है। इस प्रकार राजा या रानी नाम मात्र के प्रधान है। राजतंत्र के बने रहने से संसदीय लोकतंत्र पर कोई आघात नही हो सकता।

परन्तु प्रो० लास्की का कहना है कि राजा या रानी [illegible] रानी विक्टोरिया स्वयं विदेश नीति का संचालन करती है। एडवर्ड 7 वें के द्वारा भारत के सम्बन्ध में नीति निर्धारित किये जाते है। इस प्रकार राजा या रानी को वास्तविक अधिकार भले ही प्राप्त नहीं है, परन्तु यदि उसमें योग्यता हो तो ~~प्रशासक~~ शासन को प्रभावित कर सकते हैं। जेनिंग्स का कथन है कि राजा या रानी को प्रशासन के सम्बन्ध में किसी भी मंत्री से कम जानकारी नही रहती। इस प्रकार राजा या रानी को प्रशासन के सम्बन्ध में भले ही वास्तविक अधिकार नहीं हो लेकिन प्रशासन के सम्बन्ध में उन्हे सभी प्रकार की जानकारी दी जाती है। वे किसी विषय पर और अधिक सूचना प्राप्त कर सकते है। प्रधान मंत्री से सरकार के सम्बन्ध में विचार विमर्श कर सकते है। इस प्रकार शासन को प्रभावित करने का अवसर उन्हे हमेशा प्राप्त रहता है। लास्की का कहना है कि एक संसदीय लोकतंत्र में वंशानुगत राजा या रानी को शासन को प्रभावित करने का कोई अधिकार नही होना चाहिये।

Scanned with CamScanner

राजतंत्र का औचित्य
(Justification of Monarchy)

राजतंत्र के औचित्य को प्रो० Kith तथा ग्लैडस्टन ने सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। Kith इसे संविधान का अभिभावक मानते हैं। उनका कहना है कि संविधान की रक्षा करना राजा या रानी का कर्तव्य है। लॉर्ड सभा की शक्तियाँ समाप्त होने के बाद इस सम्बन्ध में राजा या रानी का उत्तरदायी बढ़ गया है। इसीलिए यदि मंत्रीमंडल कोई विवादास्पद नीति अपनाना चाहे जिसके सम्बन्ध में राष्ट्र में तीव्र मतभेद हो तो राजा या रानी का कर्तव्य है कि वह सरकार को जनमत संग्रह कराने के लिये विवश करें। कीथ का दर्शन राजा या रानी को कुछ महत्वपूर्ण संविधानिक मामलों में स्वविवेक से निर्णय लेने का अवसर प्रदान करता है। यदि जनमत संग्रह कराने के लिये राजा या रानी द्वारा सरकार को विवश किया जाता है तो यह लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग ही कहा जायगा। परन्तु प्रो० लॉस्की Kith के इस तर्क का खंडन करता है। उनका कथन है कि कोई भी सरकार पाँच वर्ष के लिये सत्ता में आती है और उसे मतदाता की ओर से किसी भी प्रकार का निर्णय लेने और नीति अपनाने का अधिकार है। अगले आम चुनाव में मतदाता को ही यह निर्णय करने का अधिकार होता है कि सरकार ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है कि नहीं? दूसरी बात यह है कि सम्राट को यदि यह अधिकार दिया जाता है तो इसका प्रयोग प्रगतिशील नीतियों को लागु होने में कठनाई पैदा करना ही है। अनुदार दल की सरकार के विरुद्ध इन अधिकारों का प्रयोग कभी भी नहीं किया गया लेकिन 1909 में बजट पारित करने तथा लॉर्ड सभा की शक्तियों में कमी करने के लिये उदारवादी दल की सरकार को दो बार मतदाताओं का सामना करना पड़ा। लॉस्की का कहना है कि ब्रिटिश संविधान का यह मौलिक सिद्धान्त है कि मंत्रीमंडल की राय से ही राजा या रानी अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। राजा या रानी मंत्रीमंडल के परामर्श को मानने के लिये बाध्य हैं।

ग्लैडस्टन का कथन है कि राजतंत्र संसदीय लोकतंत्र की ~~स्थापना~~ सफलता के लिये आवश्यक है।

Scanned with CamScanner

यदि अमेरिका की तरह एक निर्वाचित राष्ट्रपति के पद का निर्माण किया जाय तो संसद की सर्वोच्चता समाप्त हो जायेगी, जिसे Britain की जनता कभी भी सहन नहीं कर सकती। यदि एक निर्वाचित राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रधान बनाया जाता है तो इसके लिये मंत्रीमंडल और राष्ट्रपति के बीच संघर्ष होते रहेंगें। ऐसी स्थिति में सीमित राजतंत्र England संसदीय लोकतंत्र का अभिन्न अंग बन गया है लेकिन प्रो० लास्की सीमित राजतंत्र का बना रहना उचित नहीं समझते हैं। उनके अनुसार "Monarchy in England is political anachronism"

लेकिन लास्की भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि विगत सौ वर्षों से राजतंत्र समाप्त करने और गणतंत्र की स्थापना करने की माँग नहीं की गई। किसी राजा या रानी को भले जनता पसन्द न करे लेकिन राजतंत्र के विरुद्ध उनका कोई शिकायत नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि ... लोकतंत्र के एक प्रमुख तत्व के रूप में स्वीकार कर लिया है।

लास्की के शब्दों में "राजतंत्र को लोकतंत्र के हाथों उसके प्रतीक के रूप में बेच दिया गया है और इस बिक्री से सभी वर्गों को इतना अपार हर्ष हुआ है कि उस सार्वजनीक खुशी के गगन भेदी स्वर में इक्के-दुक्के मतभेद की आवाज सुनाई भी नहीं पड़ती।"

Scanned with CamScanner